न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

–रीडर/ 2022/ 402 दिनांक :– 31 .5.2022

मुकदमा नंबर 77/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. विशनाराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी चंपा भाकरी करना तहसील सिणधरी 2. मोहनलाल पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी सिराणा तहसील सायला जिला जालोर 3. गोमाराम पुत्र धनाराम जाति जाट सिराणा तहसील सायला जिला जालोर 4. किरताराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी सिराणा तहसील सायला जिला जालोर 5. घोपेन्द्र कुमार गोदारा पुत्र जालाराम जाति जाट निवासी रंगाला जिला जालोर 6. पनाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी गोदारों की ढाणी डाबली सिराणा जिला जालोर (राज)		1. सोमाराम पुत्र रूगाराम 2. मदन पुत्र खेताराम 3. घेवरराम पुत्र खेताराम 4. ढलाराम पुत्र खेताराम सभी जातियान भील निवासीयान कलावा तहसील पचपदरा। 5. राजस्थान सरकार भू. धारक जरिये तहसीलदार पचपदरा।

आदेश दिनाक :– 31.5.2022

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा कलावा पटवारी क्षेत्र खेड भू–निरीक्षक साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 541/35 रकबा 20–18–13 बीघा, खसरा संख्या 1187/35 रकबा 05 बीघा, खसरा संख्या 1189/35 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 1188/35 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 1190/35 रकबा 01–01 बीघा व खसरा संख्या 1201/35 रकबा 01 बीघा 07 विस्वेंशी कुल रकबा 30 बीघा कृषि भूमि किस्म बारानी सोयम मूल खसरा संख्या 541/35 है। विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्बेनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमीश्नर शुल्क रूपयें 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि ... हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:07:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/403 दिनांक :– 31.5.22

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा